संक्षिप्त

सड़क हादसे में दो घायल

पावटा, (निसं)। बावडी मोड के समीप बुधवार की शाम करीब 3 बजे बाइक और अज्ञात वाहन की टक्कर से टसकोला व दाँतिल निवासी दो व्यक्ति गंभीर घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा भेजा गया जहां से हालत गंभीर देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बावडी मोड के समीप बुधवार की दोपहर 3 बजे विक्रम निवासी टसकोला व पप्पू निवासी दाँतिल बाइक से कहीं जा रहे थे। तभी एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सडक पर गिर गए। इसके बाद आनन-फानन में दोनों बाइक सवारो को मौके पर पहुँची एंबुलेंस की सहायता से प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा लाया गया। समाचार लिखे जाने तक दोनों बाइक सवारो की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जयपुर के लिए रेफर किया। वही सूचना पर पहुँची प्रागपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुँच एक्सिडेंटल वाहन बाइक को अपने कब्जे मे लिया।

बलात्कार के आरोप में सजा सुनाई

अलवर, (निसं)। विशिष्ट न्यायाधीश पोस्को संख्या दो के लोक अभियोजक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि 2017 में 16 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने के आरोप में सहरून पुत्र फत्तू का खान निवासी ग्राम जटियाना को विशिष्ट न्यायाधीश राजवीर सिंह ने 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 के जुर्माने से दंडित किया है। अभियुक्त पर नाबालिग बालिका को हैंडपंप पर पानी भरते समय जबरन उठाकर ले जाने का आरोप था। इस संबंध में बालिका के नाना ने 2017 में सदर थाने में बलात्कार के मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

मारपीट के दो मामलों में चार घायल

मालपुरा (निसं)। मालपुरा उपखण्ड क्षेत्र के गनवर गांव में बाडे के चारों और झाडियां लगाने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में एक पक्ष द्वारा की गई मारपीट में भूरी देवी जाट, संतोष देवी जाट व हंसराज जाट घायल हो गये। वही दूसरे मामले में हाथगी गांव में सत्यनारायण बैरवा के घर में घुस उसके भतीजे ने घुस चाचा के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। दोनों मामलों में घायल महिला-पुरूषों को मालपुरा अस्पताल में उपचार के लिए भर्ति करवाया गया। वही अजमेर रोड पैट्रोल पम्प के पास बजरी से भरे ट्रेक्टर-ट्रोली की टक्कर से बाईक चालक मालपुरा निवासी नियाज पुत्र मारूफ घायल हो गया जिसे मालपुरा अस्पताल मे भर्ति करवाया गया।

कक्षा 11 में प्रवेश हेतु आवेदन शुरू

निवाई, (निसं)। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में कक्षा 11 में प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रधानाचार्य कुंभाराम चौधरी ने बताया कि कक्षा 11 में आरसीएसई के निर्देशानुसार प्रवेश हेतु प्रवेश फार्म जमा करवाने की अंतिम तिथि 3 अगस्त है। चयनित आवेदकों की सूची 8 अगस्त को जारी की जाएगी व चयनित आवेदकों से समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर 12 अगस्त को प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10 उत्तीर्ण की है उनके लिए मिनिमम 65 प्रतिशत अंक व अन्य बोर्ड से आवेदन हेतु 71 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

कुकर्मी को सुनाई सजा

बौंली-बामनवास, (निसं)। पोक्सो एवं परिवार न्यायालय सवाई माधोपुर में एक नाबालिग बालक का अपहरण कर कुकर्म करने के आरोपी मोनू उर्फ मोहन लाल मीणा निवासी खिलचीपुर थाना कोतवाली सवाई माधोपुर को दोष सिद्ध हो जाने पर 5 वर्ष का कठोर कारावास व 41हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

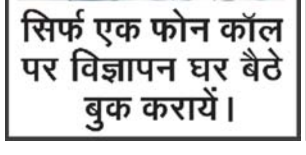

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

महिला चिकित्सकों का स्थानांतरण निरस्त कराने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना

चौमू/कालाडेरा, (निसं)। कालाडेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थापित महिला चिकित्सक डॉं मीनल यादव स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं डॉं कविता चौधरी का स्थानांतरण कालाडेरा से जैसलमेर व भरतपुर करने पर बुधवार को सैकडों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं व पुरूषों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालाडेरा पर दोनों महिला चिकित्सकों का स्थानांतरण निरस्त करवाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वही विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर कालाडेरा थाना प्रभारी हरबेन्द्र सिंह ने मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच ग्रामीणों से वार्ता की।

- अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर ग्रामीणों ने अस्पताल प्रभारी का पुतला फूंका

विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर कालाडेरा थाना प्रभारी हरबेन्द्र सिंह ने मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच ग्रामीणों से वार्ता की।

वार्ता के दौरान ग्रामीणों ने मौके पर चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग की। बाद में थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया।

जिसके बाद मौके पर चौमू तहसीलदार प्रभात स्वरूप मीणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालाडेरा पहुंच ग्रामीणों से वार्ता की लेकिन ग्रामीण उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की बात पर अडे रहे। वहीं तहसीलदार के निर्देश पर गोविन्दगढ बीसीएमएचओ कार्यालय में कार्यरत प्रोग्राम अधिकारी रमेश यादव ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से वार्ता की लेकिन उनके द्वारा असंतोषप्रद जवाब देने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गये। जिसके बाद कालाडेरा सरपंच अशोक कुमार शर्मा ने सीएमएचओ जयपुर प्रथम नरोत्तम शर्मा से दूरभाष पर दोनों महिला डॉक्टरों के स्थानांतरण को निरस्त करवाने को लेकर बात की जिस पर सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा ने गुरुवार को धरना स्थल पर आकर ग्रामीणों से वार्ता करने का आश्वासन दिया। साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच के साथ ग्रामीणों के द्वारा जो ज्ञापन व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवाया गया है उसको मंत्री महोदय व विभाग के उच्च अधिकारियों को भिजवाने का भी आश्वासन दिया।

वहीं ग्रामीणों ने जब तक दोनों महिला चिकित्सकों का स्थानांतरण निरस्त नहीं किया जाता है तब तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का निर्णय लिया है। वहीं जानकारी अनुसार मेडिकल एसोसिएशन व्यापार मंडल कालाडेरा ने जब तक दोनों महिला चिकित्सकों का स्थानांतरण निरस्त नहीं किया जाता है तब तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीणों को अपना समर्थन दिया है। वहीं ग्रामीणों ने वर्तमान कालाडेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी सरदार सिंह यादव का अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं के कारण उनका पुतला बनाकर दहन किया। साथ ही उनका भी स्थानांतरण कालाडेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से अन्य दूसरी जगह करने की सरकार से मांग की।

ठेका कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा

टोंक, (निसं)। राजस्थान विद्युत तकनीकी एफ.आर.टी. कर्मचारी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष जितेन्द्र स्वामी के नेतृत्व में निवाई में ठेका कर्मचारियों को संविदाकर्मी की तरह नियमित करने की मांग को लेकर अति.जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।

एसोसिएशन के भगवान सैनी, बनवारी लाल मीणा, आसीफ, अमीन, मुकेश माली, हनुमान गुर्जर, महेश योगी, कालू कुम्हार, मांगीलाल जैन, मनीष गौत्तम, रामअवतार चौधरी, जगदीश जाट, राजेश योगी आदि ने दिये गये ज्ञापन में बताया कि निवाई में राजस्थान विद्युत तकनीकी एफ. आर. टी. कर्मचारी विगत 5-6 वर्ष से नियमित रूप से ठेका के तहत विद्युत विभाग में कार्य कर रहे है। प्रार्थीगण अपनी न्यूनतम मजदूरी हैल्पर 6 हजार 65० रूपये तथा लाईनमैन 7 हजार 155 रूपये प्राप्त कर रहे है जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। उन्होने सीएम से मांग की है कि निवाई में ठेका प्रणाली के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को बजट घोषणा अनुसार संवीदा कर्मी की भांति नियमित किया जावे।

सरपंचों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

पावटा, (निसं)। उपखंड कार्यालय पर बुधवार को नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए जिला सरपंच संघ अध्यक्ष मेहरसिंह धनकड के नेतृत्व में पावटा पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने पावटा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में बताया कि सरपंच संघ अपनी मांगों को लेकर 1 वर्ष से लगातार आंदोलनरत है। आंदोलनरत सरपंच संघ से मार्च एवं अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता में सहमतियां व्यक्त कर लिखित समझौते के पश्चात भी विभाग द्वारा आज तक समझौते को लागू नहीं किया गया है।

सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री भंवरलाल शर्मा पुत्र स्व.श्री भगवान सहाय शर्मा निवासी-मकान नं 1 सुंदर नगर सिविल लाइन्स अजमेर रोड,जयपुर के पुत्र प्रहलाद कुमार शर्मा उसकी पत्नी श्रीमती पिंकी शर्मा व मेरे अभिभाष्य कि पौत्री हर्षीता शर्मा पुत्री प्रहलाद कुमार शर्मा मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है एवं इनका आचरण मेरे अभिभाष्य व अन्य परिवारजनों के प्रति सही नहीं है इस कारण मेरे अभिभाष्य द्वारा प्रहलाद कुमार शर्मा उसकी पत्नी श्रीमती पिंकी शर्मा व मेरे अभिभाष्य की पौत्री हर्षीता शर्मा पुत्री प्रहलाद कुमार शर्मा को अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति में से बेदखल किया जा रहा है इनका मेरे अभिभाष्य की चल-अचल संपत्ति में से कोई हक अधिकार नहीं है और आज के बाद (भविष्य में) उपरोक्त तीनों लोगों के प्रति मेरे अभिभाष्य व मेरे अभिभाष्य के अन्य परिवारजन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। (नितेश कुमार दाधीच) एडवोकेट, मो.9461633123

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 68/2022
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि डॉ. आर. के गुप्ता निवासी 52 उदय नगर ए मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास निर्माण नगर जिला जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत PED GASTRO RAJASTHAN जिला जयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 21.7.22 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 24.9.22 आकाश रंजन
सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग, जयपुर

कृषक उपहार योजना के ई-कूपनों की लाटरी निकाली

मंडावरी, (निसं)। कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय परिसर में कृषक उपहार योजना के तहत जारी की ई उपहार कुपनो की लाटरी बुधवार को दोपहर 2 बजे मंडी समिति कार्यालय के सभाकक्ष में मंडी समिति के प्रशासक एसडीएम मोहर सिंह मीणा एवं मंडी समिति सचिव ममता गुप्ता एवं कृषि उपज मंडी समिति सचिव चाकसू आनंद कीना की मौजूदगी में निकाली गई। विभिन्न श्रेणियों में ई कूपनों पर निकाली गई लाटरी के लाभार्थियों को इनाम की राशि ऑनलाइन संबंधित लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए संबंधित विजेता मंडी समिति कार्यालय में खुद के पहचान के दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। इसके बाद ही उपहार की राशि संबंधित विजेता के खाते में जमा हो पाएगी। कृषक उपहार योजना के तहत जारी ई कूपनों की लाटरी बालकों को बुलाकर बालको के हाथों से कृषको अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी पारदर्शिता के साथ निकलवाई गई। इस मौके पर मंडी समिति सचिव ममता गुप्ता द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

विधायक ने 23 सड़कों का किया शिलान्यास, मरम्मत के लिए चार करोड़ मंजूर

अलवर, (निसं)। पालिका परिक्षेत्र खेरली में बजट घोषणा 2021-22 के अंतर्गत सडकों की मरम्मत के लिए कठूमर विधायक बाबूलाल बैरवा की अनुशंसा पर 398.51 लाख रुपए मंजूर हुए हैं जिनका शिलान्यास मुख्य अतिथि कठूमर विधायक बाबूलाल बैरवा ने किया।

मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा 2021-22 के अंतर्गत एक विशेष फंड का गठन किया है। इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सभी नगर पालिकाओं में सडकों के मरम्मत कार्य की जाने हैं। इसी घोषणा के तहत नगरपालिका के लिए उक्त राशि मंजूर हुई हैं जिनमें पालिका क्षेत्र की 23 सडकों का मरम्मत कार्य किया जाएगा। जिसका उद्घाटन विधायक बाबूलाल बैरवा ने कठूमर रोड पुलिस थाने के सामने किया जिसमें विशेष अतिथि के तौर पर विधायक पुत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा रहे। इस अवसर पर विधायक बैरवा ने अपने उद्बोधन में सर्वांगीण विकास के संकल्प को दोहराते हुए आमजन से ऐसा कोई भी कार्य जो विकास के से जुडा हो बताने के लिए कहा साथ ही उन्होंने कन्या महाविद्यालय खुलवाने के लिए प्रयासरत रहना बताया।

कठूमर विधायक बाबूलाल बैरवा ने शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की।

उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित छूट का लाभ देते हुए अधिकाधिक पट्टे देने को कहा। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीजगढिया, अधिशाषी अधिकारी किंगपाल सिंह, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहायक अभियंता ब्रजमोहन मीणा, पार्षद जगदीश लखेरा, विधायक निजी सहायक एवं पार्षद वीरू बैरवा, थानाधिकारी राजवीर सिंह शेखावत, नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता राजकुमार जैन, पार्षद मुरारी सैनी, पार्षद चीनेश बंसल, पार्षद प्रतिनिधि प्रकाश जैन एवं भजन लाल मीणा, जगराम वैद्य, पंचायत समिति सदस्य पिंकू शर्मा, समाजसेवी कमल नरूका, प्रमोद शर्मा, संतोष कैरव, आशीष दीक्षित उपस्थित रहे।

बैंककर्मी से डेढ़ लाख की लूट

बहरोड/नीमराना, (निसं)। अलवर जिले के बहरोड तहसील में स्थित निजी बैंक बंधन बैंक के कर्मचारी से स्टेट हाईवे नंबर 111 पर तसींग रोड पर लूट का शिकार हो गया। लूट की सूचना के बाद बहरोड थानाधिकारी वीरेंद्र पाल सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। बहरोड पुलिस से जानकारी हासिल कर हरियाणा बॉर्डर के आसपास गांवों में बदमाशों की तलाश शुरू की गई। थानाधिकारी वीरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि लक्ष्मणगढ थाना क्षेत्र के गांव जावली निवासी सुनील कुमार पुत्र बलबीर सिंह जाति बंजारा तसींग से महिलाओं के समूह से लगभग 1 लाख 40 हजार रुपए लेकर बाइक से बहरोड आ रहा कि इसी दौरान गांव से करीब एक किलोमीटर दूर बाइक सवार तीन बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट की बाइक के सामने बाइक लगाते हुए हाथापाई कर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार गए।

NAME CHANGE

I Jagdeesh kanwar legally wedded spouse of Army no JC 468640W Rank Ex Hony Lt Girdhar Singh R/O Village post Kolara Teh. Bonali Dist Sawaimadhopur That Have changed my name From JAGDISH DEVI (DOB 11-12-1962) is Wrong Entered my husband service documents TO JAGDEESH KANWAR (DOB 01/01/1964) Vide affidavit dated 28/6/2022 before district notary Sawaimadhopur.

मैंने अपना नाम गोपाल लाल शर्मा से बदलकर गोपाल शर्मा पुत्र गणपत लाल शर्मा रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी फ्लेट नं. एफ-2, मारूती टॉवर-2, प्लाट नं. डी-97, सिंधु नगर, मुरलीपुरा, जयपुर

खोया पाया

मेरे मकान 12/946 मालवीय नगर जयपुर का मूल आवंटन पत्र, डिक्लेरेशन मालवीय नगर जयपुर में कहीं गिर गये है। मिलने पर सूचित करें- इन्दु गोयर 9982233699

नाम परिवर्तन

नं.15444317P नायक (NASST) कोथळकर अविनाश एकनाथराव, नौबागपुरा अचलपूर, पोस्ट-अचलपूर, जिला-अमरावती (MH) पिन 444806, मेरे आर्मी रिकॉर्ड में गलती से मेरी पत्नी का नाम निशीगंधा गजाननराव वानखेडे दर्ज है, जो कि मेरी पत्नी का विवाह से पूर्व का नाम था, विवाह उपरांत मेरी पत्नी का नाम निशीगंधा अविनाश कोथळकर है, उक्त दोनों नाम एक व्यक्ति के है कृपया रिकॉर्ड में निशीगंधा अविनाश कोथळकर दर्ज किया जावे।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या हसीना बानो पत्नी श्री मोहम्मद ज़मील, आयु 61 वर्ष निवासी-मकान नम्बर 44, मेहनत नगर, हटवाडा रोड, सोडाला, जयपुर, राजस्थान के पुत्र मोहम्मद आसिफ पुत्र श्री मो. जमील, उसकी पत्नी संजीदा बानो, इमरान पुत्र श्री मो. जमील व उसकी पत्नी खुशबु व दोनो पुत्रो की सन्ताने मेरी अभिभाष्या के कहे में नही है मेरी अभिभाष्या के साथ बदसलूकी करते है तथा मेरी अभिभाष्या का कहना नहीं मानते है जिस कारण मेरी अभिभाष्या अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से पुत्र मोहम्मद आसिफ पुत्र श्री मो. जमील, उसकी पत्नी संजीदा बानो, इमरान पुत्र श्री मो. जमील व उसकी पत्नी खुशबु व दोनो पुत्रो की सन्तानो को बेदखल करती है। मेरी अभिभाष्या का अब मोहम्मद आसिफ पुत्र श्री मो. जमील, उसकी पत्नी संजीदा बानो, इमरान पुत्र श्री मो. जमील व उसकी पत्नी खुशबु व दोनो पुत्रो की सन्तानो से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही रहा है ना ही भविष्य में होगा। सूचित रहें। भवदीय
कलीमुदीन एडवोकेट, मो.नं. 8947890845

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ओमप्रकाश बखाड़िया पुत्र श्री जगन्नाथ जी बखाड़िया निवासी 99 बल्लभबाड़ी कोटा राजस्थान द्वारा समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 22/07/2022 के अंकन में पृष्ट सं. 19 पर जो आम सूचना दिनांक 21.07.2022 की अपने अधिवक्ता श्री भगवानसिंह एडवोकेट, कोटा से प्रकाशित करवायी है वह आम सूचना गलत है। उक्त ओमप्रकाश ने मेरे अभिभाष्य श्री प्यारे किशन शर्मा पुत्र श्री बालकिशन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी फुलेरा जिला जयपुर को उपरोक्त भूखण्डों को बेचान करने के लिए अधिकृत करने पर ही उक्त भूखण्डों का बेचान किया है। जो सही किया गया है।
(अजय सिंह एडवोकेट मो.नं. 9261460489)

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाड़ी
क्रमांक-936 दिनांक-26.07.2022
आवश्यक सूचना मूलतः आवास संख्या 5/82 अरावली विहार, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाड़ी श्री ब्रजेन्द्र सिंह सूपा को आवंटन पत्रांक 1642 दिनांक 31.08.2010 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा इनके पक्ष में अदेय प्रमाण पत्र संख्या 128 दिनांक 20.04.2011 को जारी किया जा चुका है। इनके द्वारा उक्त आवास की रजिस्ट्री स्वयं के पक्ष में दिनांक 08.07.2011 को उप पंजीयक भिवाड़ी में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री ब्रजेन्द्र सिंह सूपा की मृत्यु दिनांक 11.10.2019 को हो चुकी हैं। श्रीमती रामपती ने प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रपत्र श्री ब्रजेन्द्र सिंह सूपा की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रस्तुत कर निवेदन किया है, उनके पति का स्वर्गवास दिनांक 11.10.2019 को हो जाने के कारण उपरोक्त आवास संख्या 5/82 अरावली विहार, भिवाड़ी जिला अलवर का पंजीकृत हकत्याग के आधार पर मृत्यु उपरान्त प्रतिस्थापन हस्तांतरण उनके नाम किया जावे। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 5/82 अरावली विहार, भिवाड़ी के संबंध मे पिता, पुत्रियाँ, भाई व अन्य किसी रिश्तेदार को किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाड़ी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती रामपती पत्नी स्व. श्री ब्रजेन्द्र सिंह सूपा के पक्ष में उपरोक्त आवास संख्या 5/82 अरावली विहार, भिवाड़ी जिला अलवर का पंजीकृत हकत्याग के आधार पर मृत्यु उपरान्त प्रतिस्थापन हस्तांतरण किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
(पी.एल.मीणा) आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाड़ी

1159
21.7.22
उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राजस्थान)
व्यवहार मिश्रित (मुतफरिक) वाद संख्या 98/22
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।
प्रार्थी- नाम मधु देवी गोयनका पत्नी स्व. श्री महावीर प्रसाद गोयनका उर्फ महाबीर प्रसाद गोयनका, जाति महाजन।
विवाद स्थान प्लाट नम्बर डी-60, माधो सिंह रोड, बनीपार्क, जयपुर-302016 (राज.)
मृतक महावीर प्रसाद गोयनका उर्फ महाबीर प्रसाद गोयनका की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक - 23.8.2022
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/ प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम महावीर प्रसाद गोयनका उर्फ महाबीर प्रसाद गोयनका पुत्र स्व. श्री राम बल्लभ गोयनका, जाति महाजन निवासी प्लाट नम्बर डी-60, माधो सिंह रोड, बनीपार्क, जयपुर-302016 (राज.) का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अत: उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 23 माह 08 सन 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 21 माह 07 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से
वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय
मुहर 21/7/22

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

अलवर, (निसं)। दलित शोषण मुक्ति मंच (डीएसएमएम) के प्रदेश सहसंयोजक डॉ.रमेश बैरवा ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि मंच की ओर से अलवर के मुंडावर तहसील के गांव सुखमणहेडी में दलित परिवारों के घर और खेतों का रास्ता बंद किए जाने की शिकायत इसी 11 जुलाई को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेजी थी जिसका आयोग ने संज्ञान ले लिया है। शिकायत में दलित परिवारों के घर और खेतों के रास्ते को अविलंब खुलवाने और मारपीट की धमकी देने वालों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है।

ज्ञापन में लिखा था कि अजीब बात है कि देश "आजादी का अमृत महोत्सव" मना रहा है और इधर दलितों के घर और खेत का रास्ता बंद है। दलित आज भी दासता का जीवन जी रहे हैं। दलित सुरक्षित नहीं है।

अवैध ब्लास्टिंग से ग्रामीण परेशान, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

कोटपूतली, (निसं)। ग्राम पवाना अहीर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय सहित एससी मौहल्ला व सघन आबादी क्षेत्र में अवैध हैवी ब्लास्टिंग का मामला सामने आया है। इस सम्बंध में बडी संख्या में ग्रामीणों ने सरपंच पूरणमल खटीक के नेतृत्व में एसडीएम ऋषभ मण्डल को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में लिखा है कि महेन्द्र गोयल निवासी नीमकाथाना के नाम से आंवटित खनन पट्टा संख्या 5/03 में अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है। जबकि उक्त खनन पट्टा में किसी भी प्रकार का खनन नहीं किये जाने को लेकर खान सुरक्षा विभाग अजमेर द्वारा विगत 19 जुलाई को निषेधाज्ञा जारी की गई है। बावजुद इसके धडल्ले से अवैध हैवी ब्लास्टिंग कर खनन किया जा रहा है।

- उचित कार्यवाही नहीं होने पर धरने की चेतावनी

ज्ञापन में बताया कि वर्षा के मौसम में ब्लास्टिंग व धमाकों से मकानों के गिरने का खतरा पैदा हो गया है। यदि कोई दुर्घटना घटती है तो स्थानीय प्रशासन व खनन विभाग इसका जिम्मेदार होगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 से ही लगातार शिकायतों के बावजुद भी उक्त खान में खनन कार्य रूक-रूक कर जारी है। खनन विभाग व प्रशासन द्वारा जाँच रिपोर्ट में हमेशा उक्त खान को आबादी के नजदीक बताते हुए ब्लास्टिंग की बजाय श्रम के जरिये कार्य करने की रिपोर्ट दी है। खनन पट्टे में अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद किये जाने का मामला भी सरूण्ड थाने में दर्ज है। प्रशासन गाँवों के संग अभियान के दौरान भी ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की थी। जिस पर तहसीलदार सूर्यकान्त शर्मा ने ब्लास्टिंग नहीं किये जाने को लेकर पाबंद किया था, लेकिन माईनिंग विभाग की अनदेखी से ग्रामीणों में भारी आक्रोश का माहौल है। खनन ग्रस्त संघर्ष समिति के सचिव राधेश्याम शुक्लावास ने बताया कि जल्द ही इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो ग्रामीणों द्वारा एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जायेगा। एसडीएम ने ग्रामीणों को उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। इस दौरान विक्रम पिचाणी, जगदीश आर्य, ग्यारसी लाल, नन्दाराम यादव, बिहारी लाल, रामनिवास, मूलचंद आदि मौजूद थे।

मासिक सीजन पास शुरू करने की मांग

फुलेरा, (निसं)। दैनिक रेल यात्री संघ एकीकृत फुलेरा के तत्वावधान में मुख्य वाण्जिय प्रबंधक अर्चना श्रीवास्तव से मुलाकात कर सुबह शाम की सभी ट्रेनों में मासिक सीजन पास की सुविधा चालू कराने के लिए लिखित रूप से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संघ के अध्यक्ष अशोक वासदेव ने बताया कि फुलेरा से हजारों की संख्या में दैनिक रेलयात्री, कोचिंग और कॉलेज के स्टूडेंट्स, कर्मचारी वर्ग सहित आमयात्री जयपुर, किशनगढ , अजमेर, मकराना, कुचामन की तरफ यात्रा करते है। इन सभी यात्रियों को ट्रेनों में मासिक पास सुविधा नहीं मिलने से काफी परेशानी का सामना करना पडता है। साथ ही यह भी बताया कि अजमेर-आगरा फोर्ट में अधिकांशत: लोग सुबह अजमेर, फुलेरा, आसलपुर जोबनेर से जयपुर की तरफ यात्रा करते है। अत: इस ट्रेन में तो तत्काल मासिक पास की सुविधा करवाने का आग्रह किया है।

कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण कर रही है : राठौड़

कोटपूतली, (निसं)। भाजपा नगर मंडल कार्यसमिति की बैठक बुधवार को जिलाध्यक्ष जितेन्द्र शर्मा के निर्देशन व मंडल अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। महामंत्री बालकृष्ण सैनी व जितेंद्र शेखावत, देवेंद्र आर्य ने पुष्प गुच्छ देकर मुख्य अतिथि विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड का स्वागत किया।

इस मौके पर राठौड़ ने गहलोत सरकार की नाकामियों का वर्णन करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में राजस्थान अपराध में नम्बर एक हो गया है। कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण कर रही है। खनन माफियाओं के प्रकोप से संत आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार फेल हो चुकी है। भाजपा नेता मुकेश गोयल ने राजनीतिक प्रस्ताव पढा एवं जिला संगठन प्रभारी सत्यवीर यादव ने अनुमोदन किया। जिलाध्यक्ष जितेन्द्र शर्मा ने बूथ अध्यक्षों द्वारा बनाई गयी फोटोयुक्त बूथ समितियों का सत्यापन किया तथा समस्त बूथ के कार्यकर्ताओं से एकजुटता के साथ संगठन के प्रति समर्पित भाव से काम करने की बात कही। मंडल अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने अतिथियों का प्रतीक चिन्ह भेंटकर धन्यवाद ज्ञापित किया।

संचालन जिला मंत्री रविन्द्र सिंह शेखावत ने किया। महिला मोर्चा अध्यक्ष उषा मित्तल ने सभी के तिलक अक्षत लगाया। इस दौरान जिला महामंत्री सुरेन्द्र चौधरी, जिलामंत्री सुभाष चन्द शर्मा, ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष एड. हीरालाल रावत, किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शंकर लाल कसाना, उपप्रधान प्रतिनिधि एड. राजेन्द्र रहीसा, मण्डल अध्यक्ष एड. रमेश रावत, संजय सिंह नारेहड़ा, कैलाश चन्द स्वामी, पूरणमल सैनी, उपेंद्र शेखावत, पूर्व चेयरमैन एड. महेंद्र सैनी, पुष्कर शर्मा, यादराम जांगल, प्रवीण बंसल, शशि मित्तल, राज सोनी, प्रमोद सैनी, कुलदीप जोशी, भैरूलाल मीणा, सुंदरलाल सैनी, सतीश सैनी, जितेंद्र जलेन्द्रा, विजय आर्य, कमलेश प्रजापत, रमेश किताबवाला, मैथली शरण, अरविंद सैनी, हरद्वारी जांगिड़, महेश सैनी, राहुल सैनी, कमल सैनी, जयप्रकाश सैनी, भूपेंद्र यादव, नवनीत शर्मा, दिनेश दीवान, अभिषेक अग्रवाल, राहुल बंसल समेत अन्य मौजूद रहे।

उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कार्यताओं को सम्बोधित किया।

- भाजपा कोटपूतली नगर मण्डल की कार्यसमिति सम्पन्न

राजस्थान आवासन मण्डल,
वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-5370 दिनांक-11.07.2022
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 71/186 (HIG), (एरिया 120.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री ज्ञानचन्द अग्रवाल पुत्र श्री मुक्तिलाल अग्रवाल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1984 दिनांक 12.12.1995 को जारी किया गया। श्री ज्ञानचन्द अग्रवाल के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 31.12.1998 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री ज्ञानचन्द अग्रवाल द्वारा उक्त आवास को दिनांक 26.12.2001 के द्वारा श्री प्रमोद कुमार पारीक पुत्र श्री प्रहलाद नारायण पारीक के नाम विक्रय कर इनके पक्ष मे विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री प्रमोद कुमार पारीक की मृत्यु दिनांक 29.10.2009 हो जाने के कारण पंजीकृत हकत्याग के आधार इनकी पत्नी श्रीमती मीना पारीक पत्नी स्व. श्री प्रमोद कुमार पारीक द्वारा उक्त आवास को अपने स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं, श्रीमती मीना पारीक पत्नी स्व. श्री प्रमोद कुमार पारीक का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। सम्पदा प्रबन्धक
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर

सा.विज्ञप्ति नगरनिगम ग्रेटर, जयपुर
क्रमांक: एफ-13( )उपा.आयो/ जननिग्रे/2022/199 दि 27.7.2022
छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रामनाथपुरी के भूखण्ड सं. 93, क्षेत्रफल 777.77 व.ग. का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन एवं पुर्नगठित भूखण्ड सं. 91-92 से पुर्नगठन कर किये जाने हेतु श्री नितिन चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। योजना रामनाथपुरी के भूखण्ड सं. 93 क्षेत्रफल 777.77 व.ग. को आवासीय लीजडीड जविप्रा द्वारा दिनांक 16.02.2001 को श्री नितिन चौधरी के पक्ष में जारी की गई है। आवेदक की भूखण्ड सं. 93 पुर्नगठित भूखण्ड सं. 91-92 के पीछे (दक्षिण दिशा में) स्थित है। पुर्नगठित भूखण्ड सं. 91-92 जिनका व्यवसायिक भू-उपयोग है के उत्तर दिशा में मास्टर प्लान एवं पुर्नगठित साईट प्लान अनुसार 160' चौड़ी सड़क है। जोनल डवलपमेन्ट प्लान में उक्त 160'-0' सड़क के सहारे दर्शित व्यवसायिक भू-पट्टी की चौडाई सड़क की चौडाई की डेढ गुणा अथवा एकल समर्पित गहराई जो भी कम हो है। यदि किसी व्यक्ति/संस्था को उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन एवं पुर्नगठन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/ सुझाव हो तो इस सूचना के प्रकाशन तिथि से 15 दिन की अवधि तक अपनी आपत्ति /सुझाव कारणों सहित नगर निगम ग्रेटर जयपुर के आयोजना प्रथम शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं।
(महेन्द्र सोनी)आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यह कि एक मकान C-248, भरत मार्ग, सिंह भूमि, खातीपुरा, जयपुर में स्थित है, जिस पर मेरे पिताजी श्रीमान गिरवर सिंह शेखावत जी ने एचडीएफसी लिमिटेड से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त मकान के समस्त असल दस्तावेज एचडीएफसी लिमिटेड में रहन (MORTGAGE) कर रखे हैं। यह कि मेरे पिताजी श्रीमान गिरवर सिंह शेखावत जी का दिनांक 26.12.2019 को स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त मकान के पेटे लिये हुये ऋण की पूर्ण अदायगी एचडीएफसी लिमिटेड को की जा चुकी है। इसलिये अब मैं उक्त मकान के असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहता हूँ यदि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो मय दस्तावेज प्रकाशन तिथी से सात दिवस तक की अवधि में एचडीएफसी लिमिटेड, 1st फ्लोर, उम्मेद मेन्शन, B53 & B54, हनुमान नगर-बी, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, नम्बर- 0141 -6480799 में सम्पर्क करें। सूचित रहे। अजय सिंह शेखावत, आजाद सिंह शेखावत, श्री कंवर (पत्नी)
निवासी :- C-248, भरत मार्ग, सिंह भूमि, खातीपुरा, जयपुर
मोबाइल नम्बर :- 9660674444

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना
सं. एसएण्डटी-जेयू-15-2022-23
दिनांक 26.07.22
भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए मंडल रेल प्रबन्धक/सं.व.दू.उ.प.रे., जोधपुर द्वारा निम्नलिखित सिगनलिंग एवं टेलीकॉम सम्बन्धी कार्य हेतु मुहरबंद ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। **1. कार्य का नाम :** जोधपुर मंडल के नियंत्रण कार्यालय में स्थापित आरडीएसओ द्वारा स्वीकृत 12-चैनल वॉयस डेटा लॉगर/ मॉनिटर (2 संख्या) के लिए तीन साल हेतु व्यापक वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध का कार्य। **2. कार्य की अनुमानित लागत :** रुपये 8,86,242/-; **3. ई-निविदा जमाकर्ता कार्यालय का पूर्ण पताः** वरि. मंडल सिंगनल एवं दूरसंचार इंजी. मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय हरीश जौशी मार्ग, जोधपुर; **4. बयाना राशि (EMD) :** रुपये 17,700/-; **5. ई-निविदा प्रपत्र जमा कराने एवं खुलने की तारीख व समय :** 17.08.2022 को 15.00 बजे तक। तथा ई टेंडर ऑन लाईन आई आर ई पी एस 15.00 बजे बन्द होने के तुरन्त बाद खोली जायेगी। **6. वैबसाईट विवरण एवं नोटिस बोर्ड व कार्यालय जहाँ से टेण्डर का विवरण देखा जा सके एवं खरीद की जा सके : www.ireps.gov.in** नोटः- यह एक ई टेण्डर है इसलिए इसमें भाग लेने के लिए ठेकेदार ई टेण्डरिंग के द्वारा उल्लेखित वैब साईट पर टेण्डर डालें। 575-AN/22
हमें /NWRailways पर फॉलो करें